

**प्रेस विज्ञप्ति**  
**13.08.2024**

माननीय प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, अहमदाबाद (ग्रामीण) और नामित विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद ने आज, 13.08.2024 को साकेत गोखले, सांसद, राज्यसभा और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा के तहत आपराधिक आरोप तय किए हैं। ये आरोप ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत पीएमएलए/02/2023 के तहत तय किए गए हैं। पुलिस मामले में अनुसूचित अपराध के लिए भी उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।

पूर्व में, माननीय विशेष न्यायालय ने साकेत गोखले द्वारा सीआरपीसी की धारा 309 के तहत दायर आवेदन को भी खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने पीएमएलए, 2002 के तहत की जा रही कार्यवाही को तब तक स्थगित करने की मांग की थी जब तक कि उनके विरुद्ध पंजीकृत निर्धारित अपराध का मामला माननीय न्यायालय द्वारा निपटाया नहीं जाता।

साकेत गोखले को ईडी द्वारा 25.01.2023 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा के तहत गिरफ्तार किया गया था। यह आरोप था कि उन्होंने खुद को एक आरटीआई कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करते हुए जनता से धन जुटाया और इस धन का उपयोग व्यक्तिगत खर्चों जैसे कि शेयरों में अंतर्दिन व्यापार (इंट्राडे ट्रेडिंग), क्रेडिट कार्ड बकाया भुगतान, पेट्टीएम, स्विगी, ज़ोमैटो जैसे ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से खरीदारी, क्रिप्टोकॉरेंसी व्यापार और अन्य विविध खर्चों में किया।